

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन  
मंत्रालय

क्र. 221 /वित्त/ब-2/2010  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

4/TS  
1-1-11

विषय:- निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय 2, धारा 2 में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु निम्नानुसार तीन बिन्दुओं के पालन करने के निर्देश हैं :-

- (I) प्रशासकीय अनुमोदन,
- (II) तकनीकी मंजूरी,
- (III) पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता

इनके साथ ही कार्य विभाग नियमावली के कंडिका 2.005 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी योजना/कार्य का पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है, यदि :-

- (A) प्रशासकीय अनुमोदन, प्रक्रम-I प्राक्कलन (Stage-I Estimate) के आधार पर दिया गया है तो अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 20% अधिक होता है, अथवा होना प्रतीत होता है ।
- (B) प्रशासकीय अनुमोदन प्रक्रम-II प्राक्कलन (Stage-II Estimate) के आधार पर दिया गया है तो अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 10% अधिक व्यय होता है, अथवा होना प्रतीत होता है ।
- (C) मूल प्रस्तावों में सामग्री का बदलाव किया गया है, भले ही उनकी लागत अन्य मदों की बचत से की जा सकती हो ।

2/ विभागों से प्राप्त होने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यों के पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के प्रस्तावों में प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य नियमावली में पुनरीक्षित अनुमोदन के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के वित्तीय पोषण के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तथा राशि की उपलब्धता के अभाव में कार्य पूर्ण होने में विलंब होता है ।

